मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–80/2024

1. कमलदीप पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।

वादी

–:बनाम:–

1. उग्रसैन पुत्र श्री रामदयाल जाति जाट साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
2. जितेन्द्र पुत्र श्री उग्रसैन जाति जाट साकिन दुलमाना तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान ।
3. ज्योति पुत्री श्री उग्रसैन पत्नी श्री प्रेमराज जाति जाट साकिन 2 केएचएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :–..............

वादी की ओर से श्री इन्द्रजीतपाल सिंह छिंपा अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह रमाणा अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को **अमिता बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है:–

वादी प्रथम पक्ष को प्राप्त कृषि भूमि– तहसील पीलीबंगा के चक नं. 6 पी.बी.एन. के खाता सं. 41/35 के प.नं. 50/291 (3) के किला न. 6/1, 6/2, 11 ता 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17 ता 24, 25/1, 25/2 की 4.048 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता खातेदारी भूमि मे प्रतिवादी सं. 1 के 1/6 हि० से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ....17/09/24.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.18 10:20:02 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा